<u>उच्च न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)</u>

<u>रिट याचिका संख्या - 115/2004</u>

<u>याचिकाकर्ता</u> :- इन्दुलाल निषाद पिता स्व. श्री बी.आर. निषाद, आयु 58 वर्ष
अध्यक्ष - छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ लिमिटेड
राजा तालाब रायपुर (छ.ग.)
निवासी- महादेवघाट रोड, रायपुरा
जिला- रायपुर (छ.ग.)

<u>बनाम</u>

<u>प्रत्यर्थी</u> :- 1. छ.ग. राज्य, द्वारा - सचिव
कृषि विभाग (सहकारी)
मंत्रालय, डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ.ग.)
2. रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी
छत्तीसगढ़ रायपुर (छ.ग.)
3. प्रबंध निदेशक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी सोसायटी,
मत्स्य महासंघ लिमिटेड, राजा तालाब
रायपुर (छ.ग.)
4. प्रभारी अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य
सहकारी मत्स्य महासंघ लिमिटेड
राजा तालाब, रायपुर (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करने हेतु भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत रिट।</u>

<u>उच्च न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)</u>

<u>रिट याचिका संख्या - 115/2004</u>

इन्दुलाल निषाद पिता स्व. श्री बी. आर. निषाद, आयु 58 वर्ष

अध्यक्ष - छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ लिमिटेड,

राजा तालाब, रायपुर (छ.ग.)

निवासी - महादेवघाट रोड, रायपुरा

जिला- रायपुर (छ.ग.)

<u>बनाम</u>

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

03 फरवरी 2004 के लिए निर्णय सुरक्षित रखा गया।

हस्ताक्षरित/-

एल.सी.भादू

न्यायमूर्ति

<u>उच्च न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)</u>

<u>रिट याचिका संख्या - 115/2004</u>

इन्दुलाल निषाद पिता स्व. श्री बी.आर निषाद, आयु 58 वर्ष

अध्यक्ष- छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ लिमिटेड,

राजा तालाब, रायपुर (छ.ग.)

निवासी - महादेव घाट रोड, रायपुरा

जिला- रायपुर (छ.ग.)

<u>बनाम</u>

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थितिः-

01. याचिकाकर्ता की ओर से श्री विवेक तनखा वरिष्ठ अधिवक्ता तथा श्री राजीव श्रीवास्तव ।

02. प्रत्यर्थी /राज्य की ओर से श्री पी. एस. कोशी शासकीय अधिवक्ता।

<u>निर्णय</u>

<u>(03 फरवरी 2004 को पारित)</u>

<u>न्यायमूर्ति एल. सी. भादू द्वारा प्रदत्त।</u>

01. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत दायर इस रिट याचिका में याचिकाकर्ता, जो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ (जिसे आगे मत्स्य महासंघ कहा जायेगा) के अध्यक्ष थे, ने 23-12-2003 के आदेश (अनुलग्नक - P/5) पर इस आधार पर सवाल उठाया है कि विवादित मनमाना, अवैधानिक और कानून के विपरीत है और यह अधिकार क्षेत्र से बाहर है तथा दुर्भावनापूर्ण इरादे और शक्ति का भ्रामक प्रयोग है जिसके तहत छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 53 की उपधारा 13 के तहत सहकारी सोसायटी के रजिस्ट्रार ने पूर्व आदेश दिनांक 10.07.2003 में आंशिक संशोधन करते हुए श्री एन. एल. टण्डन, उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी को संचालक मण्डल के स्थान पर कार्यालय प्रभारी के रूप में नियुक्त किया है।

02. इस याचिका को दायर करने के पीछे संक्षिप्त तथ्य यह है, कि मध्यप्रदेश राज्य के पुर्नगठन पर मध्यप्रदेश राज्य से एक नया छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया और नया राज्य 01 नवम्बर 2000 को अस्तित्व में आया । इसके परिणामस्वरूप मध्यप्रदेश राज्य के मौजूदा मत्स्य महासंघ को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी (पुर्नगठन और निर्माण) अध्यादेश 2000 के प्रावधानों के अनुसार पुर्नगठित किया गया । मत्स्य महासंघ 30 अक्टुबर 2000 को अस्तित्व में आया और आयुक्त, सहकारिता और रजिस्ट्रार, सहकारिता (मध्यप्रदेश) ने अधिनियम, 1960 की धारा 9(1) के प्रावधान के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया, जैसा कि अनुलग्नक-पी /01 के अनुसार है ।

03. मत्स्य महासंघ का गठन मत्स्य पालन, मत्स्य विपणन एवं मत्स्य पालन के समस्त विकास के उद्देश्य से किया गया था। मत्स्य महासंघ के पंजीकृत उपविधि 30 के कंडिका 01 के अनुसार, पंजीकरण के पश्चात मत्स्य महासंघ के प्रथम संचालक मण्डल को रजिस्ट्रार द्वारा एक वर्ष की अवधि अथवा चुनाव होने तक के लिए मनोनीत किया जाना था तथा नियुक्ति ऐसे व्यक्तियों में प्रतिबंधित थी जो मत्स्य महासंघ के अध्यक्ष अथवा सोसायटी के सदस्य के प्रतिनिधि हो । पंजीकृत उपविधि अनुलग्नक- P/02 में दी गई उपविधि 30 के अनुसार निदेशक मण्डल के नामांकन के पूर्व, रजिस्ट्रार को निदेशक मण्डल के नामांकन के प्रयोग के लिए वर्ग 01 अधिकारी को कार्यालय प्रभारी नियुक्तकरना अपेक्षित था । अतः, अधिनियम, 1960 की उपधारा 13 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत तथा मत्स्य महासंघ के उपनियमों के खण्ड 01 उपविधि 30 के अधीन आदेश दिनांक 09.07.2003 द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी ने निदेशक मण्डल को मनोनीत किया जिसमें याचिकाकर्ता को अनुलग्नक-P/03 के अनुसार मत्स्य महासंघ के निदेशक मण्डल का अध्यक्ष मनोनीत किया गया । इसके परिणामस्वरूप निदेशक मण्डल ने अगस्त 2003 में कार्य करना प्रारंभ कर दिया तथा निदेशक मण्डल की बैठक 24 नवम्बर 2003 को हुई, जिसमें निदेशक मण्डल ने मत्स्य महासंघ के उपविधियों के उद्देश्य की पूर्ति हेतू कुछ निर्णय लिए बैठक के विवरण की प्रति अनुलग्नक-P/04 है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

04. चूंकि निदेशक मण्डल का गठन रजिस्ट्रार द्वारा दिनांक 09.07.2003 के आदेश के तहत एक वर्ष की अविध के लिए या निदेशक मंडल के चुनाव होने तक के लिए किया गया था, लेकिन रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी ने आपत्तिजनक आदेश के तहत 09.07.2003 को आदेश को अनुलग्नक-P/05 दिनांक 23 दिसम्बर 2003 के आदेश को संशोधित किया और निदेशक मण्डल को हटाकर उप रजिस्ट्रार को मत्स्य महासंघ का प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया । याचिकाकर्ता की याचिका यह है कि एक बार जब रजिस्ट्रार ने अधिनियम, 1960 की धारा 13 के तहत शक्ति का प्रयोग किया, तो उसे एक वर्ष या निदेशक मण्डल चुनाव होने तक उस आदेश को रद्द करने का अधिकार नहीं था, इसलिए याचिकाकर्ता ने दिनांक 23/12/2003 के आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की है ।

05. प्रतिवादियों की ओर से रिटर्न दाखिल किया गया है जिसमें उपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति पर विवाद नहीं किया गया है लेकिन यह उल्लेख किया गया है कि चूंकि रजिस्ट्रार का आदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 77 के तहत अपील योग्य है और राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना अनुलग्नक - आर/1 दिनांक 09.09.2003 के अनुसार राज्य सरकार के समक्ष अपील है। दूसरा आधार यह लिया गया है कि याचिककर्ता की याचिका इस आधार पर पोषणीय नहीं है कि याचिकाकर्ता स्वयं इस आधार पर संघ का अध्यक्ष बनने के योग्य नहीं था, जो कि संघ में पद धारण करने के लिए अनिवार्य आवश्यकता है और याचिकाकर्ता का नामांकन अब इस न्यायालय

के समक्ष लंबित रिट याचिका में विवाद में है। इसके अलावा याचिकाकर्ता राज्य बार काउंसिल के तहत नामांकित है। वह ग्राम पंचायत रायपुरा का सरपंच भी है, वह मछुआरा नहीं है इसलिए वह अध्यक्ष बनने के योग्य नहीं है ।

06. यह भी उल्लिखित है कि अधिनियम, 1960 की धारा 53 की उपधारा 13 के तहत रजिस्ट्रार निदेशक मण्डल को हटाने और उसके स्थान पर एक प्रभारी अधिकारी नियुक्त कररने के लिए कोई भी आदेश पारित करने के लिए सक्षम है। यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप झूठे, निराधार और तुच्छ है जबकि इसके विपरीत निदेशक मण्डल के खिलाफ शिकायतें थी। याचिकाकर्ता पर अपालन और सोसायटी के हितों के खिलाफ काम करने का आरोप है, जिसके कारण प्रतिवादी संख्या 2 को विवादित आदेश पारित करने के लिए मजबूर होना पड़ा, इसलिए याचिका खारिज की जाए। प्रतिवादी क्र. 03 एवं 04 ने अपने रिटर्न में प्रतिवादी 01 और 02 द्वारा दायर जवाब को अपनाया है।

07. उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया ।

08. यह विवादित नहीं है कि निदेशक मण्डल का गठन प्रतिवादी क्र. 02, रजिस्ट्रार द्वारा अधिनियम, 1960 की धारा 53 की उपधारा 13 के अंतर्गत अनुलग्नक-पी/03 के अनुसार किया गया था और इस आदेश में कार्यकाल एक वर्ष या चुनाव होने तक उल्लेखित किया गया है और याचिकाकर्ता को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम में उनके पद के आधार पर 4 निजी सदस्यों और चार सहकारी नामांकित व्यक्तियों या छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक के नामिती और मत्स्य महासंघ के महाप्रबंधक और रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी या उनके नामिती जो उपरजिस्ट्रार के पद से नीचे न हो, के साथ अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

09. यह अब प्रश्न यह उठता है कि क्या रजिस्ट्रार दिनांक 09.07.2003 के आदेश को विवादित आदेश द्वारा अधिक्रमित करने के लिए हकदार या अधिकृत था, जबकि विवादित आदेश में यह उल्लेख किया गया है कि यह आदेश दिनांक 09.07.2003 के पिछले आदेश को आंशिक रूप से संशोधित करके जारी किया गया है, लेकिन वास्तव में, इस आदेश में प्रयुक्त भाषा से पता चलता है कि यह वास्तव में पिछले आदेश को अधिक्रमित करता है, यह आंशिक संशोधन नहीं है । आंशिक संशोधन हमेशा मूल आदेश में किया गया कोई आंशिक संशोधन होता है जबकि इस विवादित आदेश द्वारा बोर्ड को अधिक्रमित किया गया है और उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी को मत्स्य बोर्ड का प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है अधिनियम, 1960 की धारा 53 की प्रासंगिक उपधारा 13 इस प्रकार है:-

"इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या सोसायटी के उपनियमों में किसी बात के होते हुए भी, यदि सोसायटी की समिति किसी न्यायालय के आदेश या अन्यथा के कारण कार्य करना बंद कर देती है, तो रजिस्ट्रार किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की समिति को नियुक्त कर सकता है, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों या सोसायटी के उपनियमों में निहित है। यह नियुक्ति अस्थायी रूप से तब तक के लिए की गई है जब तक कि न्यायालय का आदेश निरस्त नहीं हो जाता या नये चुनाव नहीं हो जाते और समिति कार्यभार नहीं संभाल लेती।"

इस प्रावधान के अवलोकन मात्र से पता चलता है कि वर्तमान मामले में रजिस्ट्रार के समक्ष उपरोक्त प्रावधान के तहत विवादित आदेश जारी करने के लिए कोई भी परिस्थिति मौजूद नहीं थी, न ही कोई न्यायालय आदेश था और न ही किसी आदेश के कारण सोसायटी की समिति ने काम करना बंद किया था । यह पूरी तरह से अस्तित्व में था । इसलिए रजिस्ट्रार के समक्ष आक्षेपित आदेश जारी करने का कोई अवसर नही था ।

10. यह सही है कि जब कानून के किसी प्रावधान के तहत किसी विशेष प्राधिकरण को किसी समिति की नियुक्ति के लिए शक्ति दी जाती है, तो वह प्राधिकरण उस आदेश को संशोधित या अधिक्रमित करने के अपने अधिकार के भीतर होता है, भले ही उसी प्रावधान में सी. जी. सामान्य खण्ड अधिनियम की धारा16 के प्रावधानों के अनुसार कोई विशिष्ट शक्ति न दी गई हो, लेकिन वह प्राधिकरण ऐसे अच्छे कारणों से ऐसा आदेश पारित कर सकता है, जिसने प्राधिकरण को पहले के आदेश को अधिक्रमित करने वाला आदेश पारित करने के लिए मजबूर किया हो । इस मामले में प्रतिवादी क्र.01 और 02 ने अपने रिटर्न में उल्लेख किया है कि निदेशक मण्डल के खिलाफ उनके गैर-प्रदर्शन या समाज के हित के खिलाफ प्रदर्शन करने के संबंध में शिकायतें थी, जिसने प्रतिवादी क्र. 02 को विवादित आदेश जारी करने के लिए मजबूर किया । प्रथम दृष्टया, विवादित आदेश में विवादित आदेश जारी करने का कोई कारण नहीं बताया गया है और न ही इस आदेश या रिटर्न में ऐसा कोई उल्लेख है कि रजिस्ट्रार के समक्ष ऐसी कोई शिकायत लंबित थी और उन शिकायतों की जांच रजिस्ट्रार या उनके द्वारा नामित किसी अधिकारी द्वारा की गई थी । निदेशको को कारण बताओं नोटिस देने और इस तरह की जांच करने बाद रजिस्ट्रार इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि बोर्ड केखिलाफ गैर-कामकाजी या सोसायटी के हितों के खिलाफ काम करने की गंभीर शिकायतें है । इसलिए रिटर्न मे बिना कोई कारण बताए या बिना किसी जांच के केवल उन शिकायतों का उल्लेख करना जो मत्स्य महासंघ के निदेशकों और विवादित आदेश के खिलाफ प्राप्त हुई थी, बेबुनियाद है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. चूंकि अधिनियम, 1960 की धारा 53 की उपधारा 13 के अंतर्गत रजिस्ट्रार को दिनांक 09.07.2003 के आदेश को निरस्त करने की कोई शक्ति नही थी और न ही कोई रजिस्ट्रार द्वारा निदेशक मण्डल द्वारा सोसायटी के उद्देश्यों और लक्ष्यों के प्रतिकूल कार्य न करने या कार्य करने के संबंध में जांच की गई थी, रजिस्ट्रार द्वारा पारित किया गया विवादित आदेश क्षेत्राधिकार के बाहर है, प्राकृतिक न्याय के स्थापित सिध्दांतों के विपरीत है और सहकारी सोसायटी अधिनियम के उद्देश्य और भावना के विपरीत है और मत्स्य महासंघ के उपनियमों के उद्देश्यों के भी विपरीत है ।

12. अब, श्री पी.एस. कोशी, शासकीय अधिवक्ता द्वारा उठाए गये सवाल पर आते है कि याचिकाकर्ता अध्यक्ष बनने के योग्य नहीं था क्योंकि वह प्राथमिक सोसायटी का सदस्य बनने के योग्य नहीं था, इसलिए वह सर्वोच्च निकाय के अध्यक्ष पद के लिए योग्य नहीं था, क्योंकि याचिकाकर्ता मछुआरा नहीं है, वास्तव में, वह एक अधिवक्ता और गांव का सरंपच है, उन्होने आगे कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ इस आशय की कार्यवाही शुरू की गई है, इसलिए याचिका खारिज किए जाने योग्य है ।

13. मेरे विचार से यह एक स्वीकृत तथ्य है कि आज तक याचिकाकर्ता प्राथमिक मछुआरा समाज सदस्य है, और जब तक उसे मछुआरा समाज का प्राथमिक सदस्य बनने के लिए हटाया या अयोग्य घोषित नही किया जाता, वह भी जांच के बाद और याचिकाकर्ता को मछुआरा समाज का सदस्य रहने तक अवसर देकर, वह मत्स्य महासंघ के शीर्ष निकाय का सदस्य बनने का भी हकदार है । चूंकि इस रिट याचिका में प्राथमिक सदस्यता को चुनौती दी जा सकती थी, लेकिन जब तक, जैसा कि उपर उल्लेख किया गया है, उसकी प्राथमिक सदस्यता रद्द नहीं की जाती, तब तक उसे इस आधार पर शीर्ष निकाय के अध्यक्ष पद से नहीं हटाया जा सकता ।

14. प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री पी. एस. कोशी ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता के पास छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 77 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार के समक्ष अपील दायर करने का समान रूप से प्रभावी और वैकल्पिक उपाय है ।

15. दूसरी ओर, याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश अधिकार क्षेत्र से बाहर है और कानून के स्थापित सिध्दांतों के विपरीत है इसलिए याचिकाकर्ता को रिट क्षेत्राधिकार के तहत इस न्यायालय में जाने का अधिकार है और इन परिस्थितियों में वैकल्पिक उपाय के सिध्दांत को लागू नहीं किया जा सकता है । विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने व्हर्लपूल कार्पोरेशन बनाम रजिस्टार ऑफ ट्रेडमार्क्स, मुंबई और अन्य के मामले में (1998) 8 सुप्रीमकोर्ट केस 1 में रिपोर्ट किए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया । माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वैकल्पिक उपाय के प्रश्न पर विचार करते हुए कहा कि:-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

" संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत विशेषाधिकार रिट जारी करने की शक्ति पूर्ण प्रकृति की है और संविधान के किसी अन्य प्रावधान द्वारा सीमित नहीं है । मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उच्य न्यायालय को रिट याचिका पर विचार करने या न करने का विवेकाधिकार है । लेकिन उच्च न्यायालय ने खुद पर कुछ प्रतिबंध लगाए है जिनमें से एक यह है कि यदि कोई प्रभावी और प्रभावकारी उपाय उपलब्ध, तो उच्च न्यायालय सामान्य रूप से अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं करेगा । लेकिन वैकल्पिक उपाय को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लगातार कम से कम तीन आकस्मिकताओं में बाधा के रूप में कार्य नहीं करने के लिए माना गया है, अर्थात जहां रिट याचिका किसी भी मौलिक अधिकार के प्रर्वतन के लिए दायर की गई है या जहां प्राकृतिकन्याय के सिध्दांत का उल्लंघन हुआ है या जहां आदेश या कार्यवाही पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के बिना है या किसी अधिनियम की शक्तियों को चुनौती दी गई है।"

जैसा कि ऊपर कहा गया है, इस मामले में, मत्स्य महासंघ के विधिवत गठित निदेशक मण्डल को आपत्तिजनक आदेश द्वारा हटाते समय, सहकारी सोसायटी के रजिस्ट्रार ने प्राकृतिक न्याय के सिध्दांतों का उल्लंघन किया है, क्योंकि निदेशक मण्डल को हटाने से पहले निदेशक मण्डल को कोई कारण बताओं नोटिस नहीं दिया गया था, न ही कोई जांच की गई थी और न ही मत्स्य महासंघ को हटाने के लिए विवादित आदेश में कोई कारण बताया गया है और याचिकाकर्ता भी इस रिट याचिका को स्थानांतरित करने का हकदार है क्योंकि रजिस्ट्रार द्वारा पारित आदेश क्षेत्राधिकार विहीन है ।

16. जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है कि एक बार रजिस्ट्रार द्वारा अधिनियम, 1960 की धारा 53 की उपधारा 13 के तहत प्रयोग की गई शक्ति के बाद उन प्रावधानों के तहत रजिस्ट्रार के पास उस आदेश को रद्द करने या पूरे बोर्ड को हटाने का कोई अधिकार नहीं था जैसा कि इस आदेश के पहले भाग में कहा गया है । यहां तक कि प्रारंभिक चरण में अधिनियम की धारा 53 की उपधारा 13 के तहत रजिस्ट्रार द्वारा प्रयोग की गई शक्ति राज्य के पुर्नगठन के कारण थी और वह एक असाधारण घटना थी । रजिस्ट्रार में कोई अन्य शक्ति निहित नहीं थी और एक बार जब रजिस्ट्रार द्वारा अधिनियम की धारा 53 की उपधारा 13 के तहत राज्य के पुर्नगठन के कारण असाधारण स्थिति में और उपनियम 30 के खण्ड-1 के तहत शक्ति का प्रयोग किया गया, तो रजिस्ट्रार को उस शक्ति का फिर से प्रयोग करने के लिए आधिकृत नहीं किया गया ।

17. यहां तक कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी उत्तरप्रदेश राज्य बनाम मोहम्मद नूह के मामले में एआईआर 1958 सुप्रीम कोर्ट 86 में कहा था कि:-

"इसमें कोई संदेह नही है कि यदि याचिकाकर्ता ने वैकल्पिक उपचारों का लाभ नही उठाया है तो उच्चन्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इनकार कर सकता है, लेकिन रिट जारी करने से पहले वैकल्पिक उपचारों के समाप्त होने की आवश्यकता वाला नियम नीति, सुविधा और विवेक का नियम है । उच्च न्यायालय ऐसे मामले में आसानी से उत्प्रेषण रिट जारी कर सकता है जहां प्राकृतिक न्याय से इनकार किया गया हो।"

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों के मद्देनजर राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा वैकल्पिक उपायों के संबंध में उठाई गई आपत्ति बलहीन है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. परिणामस्वरूप रिट याचिका सफल हो जाती है और उसे स्वीकार किया जाता है । दिनांक 23.12.2003 (अनुलग्नक-P/05) के आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जाता है । तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए लागत से छूट दी जाती है ।

हस्ताक्षरित/-

एल.सी.भादू

न्यायमूर्ति

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By MS KIRAN SAHU, ADV